भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1394

दिनांक 10 फरवरी, 2023 को उत्तर के लिए

निर्भया कोष के अंतर्गत वित्तीय सहायता

1394. श्री एंटो एन्टोनी:

श्री केसिनेनी श्रीनिवास:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुदृढ़ करने हेतु निर्भया कोष योजना के तहत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को दी गई ऐसी सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्भया कोष के अंतर्गत निधि आबंटन और उपयोग का राज्य-वार क्या है;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों में उक्त कोष के अंतर्गत आबंटित राशि का उपयोग नहीं किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ड.) क्या सरकार के पास योजना की निगरानी के लिए कोई तंत्र है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी **महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) से (ग) : भारत सरकार ने देश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से की गई पहलों के कार्यान्वयन के लिए 2013 में निर्भया फंड नामक एक समर्पित निधि स्थापित की है। आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय इस निधि का संरक्षक है। निर्भया निधि के अंतर्गत परियोजनाएं/स्कीमें मांग आधारित हैं, जिनका मूल्यांकन निर्भया निधि ढांचे के अंतर्गत गठित अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा किया जाता है। इन परियोजनाओं/स्कीमों के कार्यान्वयन की समय-सारणी में बदलाव किया गया है। हालांकि केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा मूल्यांकन की गई कुछ परियोजनाओं को सीधे कार्यान्वित किया जाता है जबकि अधिकांश परियोजनाएं राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं जिनमें केन्द्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के निर्धारित निधि-हिस्सेदारी पैटर्न के अनुसार को निधियां जारी करती है। इसके बाद, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई समय-सीमा में जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ऐसी स्कीमें हैं, जिनको सेवाएं प्रदान करने के लिए आवर्ती व्यय की आवश्यकता होती है, जिसके संबंध में कार्यान्वयन एजेंसी/प्राधिकरण से उपयोग प्रमाण-पत्र (यूसी) और व्यय विवरण (एसओई) प्राप्त होने पर और निधियां जारी की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक निर्भया कोष के तहत आवंटित/जारी और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ) और (ङ) : निर्भया फंड के तहत अनुमोदित परियोजनाओं के लिए यूसी को उसी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बारह महीनों के भीतर में प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें अनुदान जारी किया गया था। इसलिए, यह संभव है कि किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में, वास्तव में अधिक धन का उपयोग किया गया हो, लेकिन सामान्य वित्तीय नियमों(जीएफआर) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों(आईए) द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) और व्यय विवरण(एसओई) को जमा न करवाया गया हो। मंत्रालय यूसी और एसओई जमा करने के लिए राज्यों/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित रूप से संपर्क करता है। विभिन्न अन्य कारकों, जैसे सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में लगने वाला समय, अनुबंध देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, अप्रत्याशित कारणों से व्यवधान जैसे कि कोविड-19 द्वारा निर्मित व्यवधान आदि ने भी स्कीमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित किया है। निर्भया फंड के तहत, अब तक जारी फंड का लगभग 70% उपयोग किए जाने की सूचना मिली है।

अधिकार प्राप्त समिति संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समय-समय पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति और अनुमोदित परियोजनाओं पर व्यय की समीक्षा भी करती है। इसके अलावा, संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यान्वयन एजेंसियां भी अपने स्तर पर कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करती हैं।

*****

अनुलग्नक

'निर्भया कोष के अंतर्गत वित्तीय सहायता' के संबंध में 10.02.2023 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1394 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक आवंटित/जारी और उपयोग की गई निर्भया फंड की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार मात्रा (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटित/जारी की गई धनराशि						कुल उपयोगिता
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3.30	1.93	0.88	0.82	5.86	0.91	9.75
2	आंध्र प्रदेश	19.88	66.36	8.98	13.35	2.63	12.98	41.97
3	अरुणाचल प्रदेश	6.00	2.78	8.63	6.56	11.04	9.96	16.05
4	असम	17.30	4.19	8.03	18.36	16.82	11.70	36.26
5	बिहार	21.51	2.85	3.63	24.15	26.90	33.26	43.58
6	चंडीगढ़	4.25	2.50	0.68	1.00	3.77	0.77	9.07
7	छत्तीसगढ़	22.00	12.06	7.47	22.06	7.58	12.29	53.11
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	0.20	8.97	0.01	4.22	3.67	0.45	12.52
9	दिल्ली	32.80	9.24	74.23	291.32	8.85	6.44	413.07
10	गोवा	6.01	1.74	0.05	5.42	3.47	0.47	12.74
11	गुजरात	16.16	6.54	58.07	68.95	54.26	13.40	177.12
12	हरियाणा	16.13	2.91	4.80	13.36	7.75	9.65	35.97
13	हिमाचल प्रदेश	5.92	1.80	4.60	16.70	3.68	1.92	19.38
14	जम्मू और कश्मीर	9.67	2.38	3.58	14.98	2.79	6.53	22.39
15	झारखंड	5.07	11.38	7.07	15.12	19.44	7.41	34.87
16	कर्नाटक	20.29	5.65	206.84	24.24	21.06	21.66	229.81
17	केरल	16.07	4.68	3.51	15.42	12.28	5.69	34.25
18	लद्दाख-यूटी	0.00	0.19	0.00	0.00	4.05	0.30	1.27
19	लक्षद्वीप	0.10	4.57	0.00	0.21	0.37	0.15	4.96
20	मध्य प्रदेश	29.53	19.70	15.57	45.72	33.05	47.02	94.40
21	महाराष्ट्र	19.79	21.81	118.21	132.39	13.25	8.61	254.65
22	मणिपुर	4.81	1.63	5.92	9.30	11.37	5.41	22.15
23	मेघालय	5.41	1.70	2.19	8.03	8.50	3.47	12.36
24	मिजोरम	4.86	3.44	5.68	6.84	4.06	11.47	18.85
25	नागालैंड	5.82	5.75	5.23	10.68	4.66	8.69	27.33
26	ओडिशा	20.24	4.12	8.74	24.87	15.77	25.46	49.26
27	पुदुचेरी	3.33	1.82	0.99	4.98	3.32	0.90	9.62

28	पंजाब	14.35	5.91	9.52	16.88	9.27	5.05	37.48
29	राजस्थान	29.22	7.22	8.18	25.93	21.74	36.89	82.83
30	सिक्किम	0.23	6.21	0.73	1.84	6.33	1.38	7.27
31	तमिलनाडु	15.31	3.38	183.68	97.52	14.05	15.65	304.47
32	तेलंगाना	17.02	7.36	89.03	65.08	8.99	50.68	200.95
33	त्रिपुरा	5.53	1.64	3.19	5.73	2.63	6.98	11.96
34	उत्तर प्रदेश	32.65	47.97	93.96	105.51	163.24	49.07	305.33
35	उत्तराखंड	8.45	3.84	3.30	9.60	8.40	4.82	21.97
36	पश्चिम बंगाल	21.43	4.32	49.96	17.82	6.18	5.01	95.32

*****